बिहार सरकार
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)
तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या– FC/73/2021- 530

प्रेषक,

**अरविन्दर सिंह, भा०व०से०,**
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वन विभाग,
बिहार सरकार, पटना। पटना 14, दिनांक– 25/07/2023

विषय– श्री सत्यम कुमार सिंह द्वारा बांका जिलान्तर्गत केसोपुर मौजा के खाता संख्या–69के., खेसरा संख्या–174, थाना–19, अंचल–शंभूगंज में इंग्लिश मोड़–असरगंज पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.006405 हे. वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग– पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, भारत सरकार, राँची का पत्रांक FP/BR/Approach/143693/2021/1190, दिनांक 14.06.2023

महोदया,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा वन भूमि अपयोजन की सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक सहमति (Stage-I) पत्र में अधिरोपित शर्त्तों का अनुपालन प्रतिवेदन प्रयोक्ता एजेंसी के पत्र दिनांक 11.07.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त हुआ है, जो निम्नवत है–

| क्र० सं० | भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, राँची का पत्र दिनांक 14.06.2023 में निहित कंडिका | अनुपालन |
|---|---|---|
| **A:** | **Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the Stae Forest Department.** | |
| 1 | The User agency shall transfer the const of raising and maintain the compensatory afforestation (100 trees plantation and maintenance for 10 year) at the current wage rate in consultation with state forest department in the account of CAMPA of the concerned State through online portal. | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा हरितावरण को बनाये रखने के लिए 100 वृक्षों के रोपण तथा उनके 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु रू० 8,65,161.00 (रू० आठ लाख पैसठ हजार एक सौ एकसठ) मात्र की राशि को बिहार राज्य हेतु निर्धारित Account No.- 1506270143693708, BIHAR CAMPA, Union Bank of India, Bengaluru में e-challan के माध्यम से फंड ट्रांस्फर कर दिनांक 05.07.2023 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.- SBINR52037055909 5517 है । उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है। |

Email-apccfcampa.bih@gmail.com; मो० 8986153125

| | | |
|---|---|---|
| 2 | The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 0.006405 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated ............. | NPV मद में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा 0.006405 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रू० 9,57,780/– प्रति हे० की दर से कुल रू० 6,135/– (छः हजार एक सौ पैतीस रूपये) मात्र की राशि को बिहार राज्य हेतु निर्धारित Account No.- 1506270143693708, BIHAR CAMPA, Union Bank of India, Bengaluru में e-challan के माध्यम से फंड ट्रांस्फर कर दिनांक 05.07.2023 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.- SBINR520370559 095517 है । उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है। |
| 3 | All the funds received from the user agency under the project shall be transferred deposited to CAMPA fund only through e-protal ........ | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सभी प्रकार की राशि e-challan के माध्यम से फंड ट्रांस्फर कर दिनांक 05.07.2023 को राशि जमा करा दी गई है (बैंक e-challan RTGS/ NEFT की विस्तृत विवरणी इस पत्र के साथ संलग्न)। |
| 4 | The FRA, 2006 certificate as per ministry's guidelines shall be submitted before the issuance of final approval ........... | जिला पदाधिकारी, बांका द्वारा निर्गत FRA 2006 प्रमाण–पत्र इस पत्र के साथ संलग्न भेजा जा रहा है। |
| 5 | Violation of any of these conditions will amount to violation of forest (Conservation) Act, 1980 ............. | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि उनके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। |
| 6 | The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in) | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सभी शर्त्तों का Compliance report, Ministry के Website पर अपलोड कर दिया गया। |
| **B:** | **Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the Usr Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage – II approval:** | |
| 1 | Legal status of forest land proposed for diversion shall remain unchanged. | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि के वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्त्तन नहीं किया जायेगा। |
| 2 | The state forest department shall plant 100 trees to maintain the green cover at the project cost. Plantation site for the purpose shall ……….. | 100 पौधों के रोपण हेतु 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा जमा करा दी गयी है। अंतिम स्वीकृति के उपरांत उक्त कार्यों को वन विभाग के द्वारा किया जायेगा। |
| 3 | Additional amount of NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble ……. | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होती है, तो उसका भुगतान करेंगे। |
| 4 | The approach road to petrol pump/ fuel station should be as per ……. | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा। |
| a | Fuel station should generally be part of rest area complex having ........ | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा। |
| b | Suitable signs and markings showing the location of the fuel ....... | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा। |
| c | Entire Periphery of the retail outlet should be lined up with ........... | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा। |

| | | |
|---|---|---|
| d | Suitable plantations should be raised by the user agency along ................ | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा। |
| 5 | Wherever possible and technically feasible, the User Agency .......... | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा। |
| 6 | The User Agency shall ensure that the loaboures and staff engaged in construction acitivity do not ........ | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा। |
| 7 | The lay out plan of the proposal shall not be changed without ........... | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा। |
| 8 (a) | The forest land shall not be used for any purpose other than .............. | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा। |
| (b) | The period of diversion under this approval shall be ......... | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा। |
| (c) | The forest land proposed to be diverted shall under ............... | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा। |
| 9 | Any other conditions that the Ministry of Environment, ...... | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा। |

इस प्रकार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage– I) में अधिरोपित सभी शर्त्तों का अनुपालन किया गया है।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय से विषयाधीन परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् 0.006405 हे० सुरक्षित वन घोषित पथ किनारे की भूमि के अपयोजन हेतु अंतिम स्वीकृति (Stage – II) निर्गत करने का अनुरोध करने की कृपा की जाय। **प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार का अनुशंसा प्राप्त है।**

**अनु0–यथोक्त।**

विश्वासभाजन,

ह०/–

**(अरविन्दर सिंह)**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– FC/100/2021- 530 दिनांक– 25/07/2023

प्रतिलिपि : वन संरक्षक, भागलपुर अंचल, भागलपुर /वन प्रमंडल पदाधिकारी, बांका वन प्रमंडल, बांका एवं श्री सत्यम कुमार सिंह, पिता–श्री बालमीकि प्रसाद सिंह, ग्राम+पोस्ट–कुरमाडीह, थाना–शंभूगंज, 0जिला–बांका, पिन–813211 को सूचना हेतु प्रेषित।

25/7/23

**(अरविन्दर सिंह)**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

# Proforma

<table>
<tr><td>1</td><td>Name of Regional Office</td><td>Eastern Region, Ranchi</td></tr>
<tr><td>2</td><td>State/Distt./ Forest Division to Which the proposal Relates</td><td>Bihar/Banka/ Banka Forest Division, Banka.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Name of User Agency nature of proposal</td><td>Shree Satyam Kumar Singh/IOCL Retail Outlet</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Extent of forest area involved</td><td>0.006405 Ha.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Whether Original, or extension</td><td>Original</td></tr>
<tr><td>6</td><td>If extension of lease, Pl clarify if proposal involves additional forest area, and if so, specify</td><td>-NA-</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Date of 1st stage Clearance</td><td>14.06.2023</td></tr>
<tr><td>8</td><td colspan="2">Extent of CAMPA charges head wise viz.</td></tr>
<tr><td></td><td>a.Compensatory Afforestation</td><td>8,65,161.00</td></tr>
<tr><td></td><td>b. Additional CA</td><td>-NA-</td></tr>
<tr><td></td><td>C. Penal CA</td><td>-NA-</td></tr>
<tr><td></td><td>d. Catchment Area Treatment</td><td>-NA-</td></tr>
<tr><td></td><td>e. Wildlife Management Plan</td><td>-NA-</td></tr>
<tr><td></td><td>f. Additional Charges for diversion of area falling under notified/Protected areas</td><td>-NA-</td></tr>
<tr><td></td><td>g. Net present Value</td><td>6,135.00</td></tr>
<tr><td></td><td>h. Any other charges/Levies (Pl Specify)</td><td>-NA-</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Details of Bank RTGS/NEFT head-wise against items indicated in paragraph</td><td><table>
<tr><td>S.No</td><td>MODE Remtt.</td><td>UTR No. & Date</td><td>Amount</td><td>Head</td></tr>
<tr><td>1</td><td rowspan="2">e-challan</td><td rowspan="2">SBINR520370559095517 dt. 05.07.2023</td><td>6,135/-</td><td>NPV</td></tr>
<tr><td>2</td><td>8,65,161/-</td><td>CA</td></tr>
<tr><td colspan="3">Total-</td><td>8,71,296/-</td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>10</td><td>Whether deposited by RTGS, if so, the particulars & date of remittance</td><td>As above.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Bank in which deposited, with date of deposition.</td><td>All above e-challan sent to Union Bank of India, Bengaluru on dt. 05.07.2023</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Any other remarks</td><td></td></tr>
</table>

25/7/23

**(Arvinder Singh)**
Signature of APCCF (CAMPA)-
cum-Nodal Officer (FC), Bihar.

Email-apccfcampa.bih@gmail.com; मो० 8986153125

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

दिनांक– 11/07/2023

विषय– श्री सत्यम कुमार सिंह द्वारा बांका जिलान्तर्गत केसोपुर मौजा के खाता संख्या–69के., खेसरा संख्या 174, थाना संख्या–19, अंचल–शंभूगंज में इंग्लिश मोड़–असरगंज पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.006425 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग– आपका पत्रांक FC/73/2021-449 दिनांक 21.06.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि विषयान्तर्गत प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/BR/Approach/143693/2021/1190, दिनांक 14.06.2023 द्वारा दो भाग में Stage-I की स्वीकृति प्रदान की गयी है। भाग–A में 1 से 6 एवं भाग–B में 1 से 9 शर्तें अधिरोपित की गयी है। उक्त का अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत् समर्पित कर रहा हूँ–

भाग–A

1. हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों के रोपण की 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि रू. 8,65,161/– मेरे द्वारा बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA Union Bank, Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex Phase I Lodhi Road New Delhi में फंड ट्रांस्फर कर दिनांक 05.07.2023 को जमा करा दिया गया है, जिसका UTR No. SBINR520370559095517 है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है (मूलप्रति संलग्न)।

2 NPV के मद में मेरे द्वारा द्वारा 0.006405 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रू० 9.57780 लाख प्रति हे० की दर से कुल रू० 6,135/– बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA Union Bank, Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex Phase I Lodhi Road New Delhi में फंड ट्रांस्फर कर दिनांक 05.07.2023 को जमा करा दिया गया है, जिसका UTR No. SBINR520370559095517 है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है (मूलप्रति संलग्न)।

3. मेरे द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण एवं NPV की राशि को e-challan के माध्यम से फंड ट्रांस्फर कर Union Bank of India, Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex Phase I Lodhi Road New Delhi के खाता में दिनांक 05.07.2023 को जमा करा दी गयी है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।

4. जिला पदाधिकारी, बाँका द्वारा निर्गत FRA 2006 प्रमाण–पत्र की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।

5. मेरे द्वारा वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

56

6. मेरे द्वारा सभी शर्त्तें का Compliance report, Ministry के Website-http://parivesh.nic.in पर अपलोड कर दिया गया है।

भाग–B

1. अपयोजित होने वाली वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्त्तन नहीं करूगाँ

2. हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों के रोपण की 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि रू. 8,65,161/– मेरे द्वारा बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA Union Bank, Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex Phase I Lodhi Road New Delhi में फंड ट्रांस्फर कर दिनांक 05.07.2023 को जमा करा दिया गया है, जिसका UTR No. SBINR52037055909517 है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है (मूलप्रति संलग्न)।

3. मेरे द्वारा वचनबद्धता दी गयी है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होता है तो, उसका भुगतान करेंगे।

4. इन शर्त्तें का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
a. इन शर्त्तें का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
b. इन शर्त्तें का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
c. इन शर्त्तें का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
d. इन शर्त्तें का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
5. इन शर्त्तें का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
6. इन शर्त्तें का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
7. इन शर्त्तें का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
8 (a) इन शर्त्तें का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
(b) इन शर्त्तें का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
(c) इन शर्त्तें का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
9. इन शर्त्तें का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

इस प्रकार मेरे द्वारा सभी शर्त्ते का अनुपालन कर दिया गया है। अतः अनुरोध है कि मेरे द्वारा समर्पित परियोजना पर अन्तिम स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाय।

**अनु०–यथोक्त**

विश्वासभाजन,

सत्यम कुमार सिंह

सत्यम कुमार सिंह,
पिता–श्री बाल्मीकि प्रसाद सिंह,
ग्राम+पो0 कुरमाडीह, थाना–शंभूगंज
जिला–बाँका

.06

(55)

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 05-07-2023

| | |
|---|---|
| Agency Name. | SATYAM KUMAR SINGH |
| Application No. | 70143693708 |
| MoEF/SG File No. | FP/BR/APPROACH/143693/2021 |
| Location. | BIHAR |
| Address. | Satyam Kumar Singh, Son Balmiki Prasad Singh AT PO Kurmadih PS Shambhuganj Dist Banka BiharBanka |
| Amount(in Rs) | 871296/- |

**Amount in Words** :Eight Lakh Seventy-One Thousand Two Hundred and Ninety-Six Rupees Only

## NEFT/RTGS to be made as per following details;

| | |
|---|---|
| Beneficiary Name: | BIHAR CAMPA |
| IFSC Code: | UBIN0996335 |
| Pay to Account No. | 1506270143693708<br>Valid only for this challan amount. |
| Bank Name & Address: | Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027 |

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

**Note:** After making the required payment through ch even after 7 working days, then kindly mail a copy o id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@ ubin0903710@unionbankofindia.bank

P

UTRNO- SBINR52023070559095517

भारतीय स्टेट बैंक शंभुगंज SHAMBHUGANJ 14274 STATE BANK OF INDIA

05/07/2023

05/07/2023

https://forestsclearance.nic.in/useraccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=

(49)

# कार्यालय, वन प्रमंडल पदाधिकारी, बांका वन प्रमंडल, बांका

आजाद चौक, बाबू टोला, बांका–813102
E-mail–dfo.banka@gmail.com

पत्रांक– 1039

प्रेषक,

अभिषेक कुमार सिंह,(भा0व0से0)
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
बांका वन प्रमंडल, बांका।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–
नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

प्राप्ति संख्या 758 दिनांक 11/07/2022

बांका, दिनांक–09/07/2022

विषय :– बांका जिलान्तर्गत श्री सत्यम कुमार सिंह, केशोपुर मौजा के खाता संख्या–69, खेसरा संख्या–174, थाना नं0–19, अंचल–शंभुगंज में ईंग्लिश मोड़–असरगंज पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम–1980 के तहत 0.006405 हे0 वनभूमि अपयोजन के प्रमाण–पत्र भेजने के संबंध में।

प्रसंग :– जिला कल्याण पदाधिकारी, बांका का पत्रांक–962/क0 दिनांक–05–07–2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि, विषय से संबंधित FRA-2006 प्रमाण–पत्र जिला पदाधिकारी, बांका द्वारा निर्गत जिला कल्याण पदाधिकारी, बांका के माध्यम से प्राप्त हुआ है, उक्त FRA-2006 प्रमाण–पत्र की 01 (एक) प्रति E-mail के माध्यम से भेजी जा रही है।

अतः अनुरोध है कि, FRA-2006 प्रमाण–पत्र स्वीकार करने की कृपा की जाय।

सादर सूचनार्थ समर्पित।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
बांका वन प्रमंडल, बांका।

ज्ञापांक– 1039 दिनांक– 09/07/2022

प्रतिलिपि–अनुलग्न सहित अतिरिक्त प्रति के साथ वन संरक्षक, भागलपुर अंचल, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
बांका वन प्रमंडल, बांका।

नीरज
09/07/22

47

समाहरणालय बांका
**(कल्याण शाखा)**
पत्रांक– 962 / क0

**प्रेषक,**

**जिला कल्याण पदाधिकारी,**
**बांका।**

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
बांका वन प्रमंडल, बांका।

बांका, दिनांक 05/07/2022.

विषय :– बांका जिलान्तर्गत श्री सत्यम कुमार सिंह द्वारा केशोपुर मौजा के खाता संख्या–69, खेसरा संख्या–174 थाना नं0–19, अंचल–शंभूगंज में इंग्लिश मोड़–असरगंज पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु वन(संरक्षण) अधिनियम–1980 के तहत 0.006405हे0 वनभूमि अपयोजन के प्रमाण–पत्र भेजने के संबंध में।

प्रसंग :– भवदीय पत्रांक–1302, दिनांक–03.09.2021.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रसांगिक पत्र के संबंध में बांका जिलान्तर्गत श्री सत्यम कुमार सिंह द्वारा केशोपुर मौजा के खाता संख्या–69, खेसरा संख्या–174 थाना नं0–19, अंचल–शंभूगंज में इंग्लिश मोड़–असरगंज पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु वन(संरक्षण) अधिनियम–1980 के तहत 0.006405हे0 वनभूमि के रैखिक विकास परियोजना हेतु प्रमाण–पत्र का मूल प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

अनुरोध है प्राप्ति स्वीकार की जाय।

**अनुलग्नकः**–यथोक्त।

विश्वासभाजन
05/07/22
जिला कल्याण पदाधिकारी
बांका।

(48)

## कार्यालय, जिला पदाधिकारी,बांका के तहत रैखिक परियोजना निर्माण हेतु FRA 2006 का प्रमाण पत्र

(भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नई दिल्ली द्वारा दिनांक–

28.10.2014 को निर्गत दिशा निर्देश के तहत

संख्या 962 दिनांक 05/07/22

प्रमाणित किया जाता है कि *बाँका* जिले में प्रयोक्ता एजेंसी *श्री सत्यम कुमार सिंह* द्वारा IOCL *का रिटेल आउटलेट स्थापित करने* हेतु रैखिक परियोजना निर्माण स्थान केशोपुर मौजा, अंचल–शंभूगंज, *इंग्लिश मोड़–असरगंज* पथ के कुल–***16.00 मी0*** में पड़ने वाले पथ/नहर तट पर अवस्थित सुरक्षित वन भूमि के ***0.006405*** *हेक्टेयर* रकवा के अपयोजन (**Diversion**) हेतु प्रयोक्ता ऐजेन्सी के आवेदन पर **वन प्रमंडल पदाधिकारी, बांका** के पत्रांक–1302, दिनांक–03.09.2021 द्वारा **FRA, 2006** प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु अनुशंसा समर्पित किया गया है।

तद्आलोक में प्रस्ताव के जाँचोपरांत प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित रैखिक विकास परियोजना (कंडिका–1 में वर्णित) के लिये अपयोजित होने वाली भूमि पर अवस्थित वृक्षारोपण दिनांक–**13.12.2005** के पूर्व **75** वर्षो से कम अवधि में वन भूमि के रुप में अधिसूचित किया गया है और परियोजना क्षेत्र के गॉवो में वर्ष **2001** एवं **2011** की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की अभिलिखित आबादी नहीं है।

स्थान– बाँका
तिथि–

23.6.22

**जिला पदाधिकारी, बांका का**
**हस्ताक्षर एवं मोहर**

जिला पदाधिकारी बाँका

**OR**

Certified that Forest land proposed to be diverted is a plantation which was notified as "forest'' less than 75 year prior to the 13th day of December 2005 and is located in villages having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census-2001 and Census-2011

Place :
Dated :

23.6.22

District Magistrate
and Office Seal

जिला पदाधिकारी बाँका